2.6.16	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिविर कोछोर में पेश हुई। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ईश्वरसिंह पुत्र मालसिंह ने दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके पिता मालसिंह की मृत्यु होने पर विरासत नामान्तरकरण दर्ज किया गया जिसमें वादी का नाम

Scanned with CamScanner

ईश्वरसिंह के स्थान पर हरनामसिंह दर्ज कर दिया गया जिसे शुद्ध कर ईश्वरसिंह किया जावे। वादी ने अपना पहचान पत्र, राशनकार्ड व ग्राम पंचायत का इस बाबत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया है तथा इस बाबत बयानात व मौजिजान के बयान भी दर्ज किए गए। वादी ग्राम रामावता के ख0नं0 333, ग्राम कालडीकलां के ख0नं0 460, 757, 773, 571, 572, 595, 465, 469, 470, 471, 488 तथा ग्राम कालडीखुर्द के ख0नं0 440, 441, 679, 680, 683, 684, 437, 436, 443 में सहखातेदार है उक्त ख0नंबरान में वादी का नाम हरनामसिंह पुत्र मानसिंह ~~दर्ज~~ गलत दर्ज है जिसे ईश्वरसिंह पुत्र मानसिंह दर्ज करने के आदेश दिये जावें। सम्पूर्ण तथ्यों के संतुष्ट होने पर तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ग्राम रामावता प0सं0 जोगामाता के ~~ख0~~ वर्तमान ख0नं0 333, ग्राम कालडीकलां प0सं0 जोगामाता के वर्तमान ख0नं0 460, 757, 773, 571, 572, 595, 465, 469, 470, 471, 488 तथा ग्राम कालडीखुर्द प0सं0 जोगामाता के वर्तमान ख0नं0 440, 441, 679, 680, 683, 684, 437, 436, 443 की जमाबन्दी में "हरनामसिंह" के स्थान पर "ईश्वर सिंह" दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार दांतारामगढ़ को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उप खण्ड अधिकारी
दाँतारामगढ़